

**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 26-10-2020 को थाना भेलूपुर के उ0नि0 दीपक कुमार- चौकी प्रभारी अस्सी थाना भेलूपुर वाराणसी मय पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में अग्रवाल चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति ब्राडवे होटल से कुछ दूरी पर अंधेरे में नशीला पाउडर बेच रहे हैं यदि जल्द किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के ब्राडवे होटल के पास पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर ठेले के पास खड़े दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू, व 69 पुड़िया नाजायज हेरोइन बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण कलीम व नेहाल अहमद को समय करीब 03.45 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- कलीम पुत्र अफीदुल्ला निवासी बौलिया निरुद्दीन सईद थाना कैण्ट जनपद वाराणसी उम्र 35 वर्ष।
- नेहाल अहमद पुत्र जमाल अहमद निवासी म0नं0 B 11/27 गौरीगंज अस्सी थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 31 वर्ष।

**\*आपराधिक इतिहास-\***

- मु0अ0सं0-547/2020 धारा-8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना भेलूपुर, वाराणसी।
- मु0अ0सं0-549/2020 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना भेलूपुर, वाराणसी।
- मु0अ0सं0-548/2020 धारा-8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना भेलूपुर, वाराणसी।

**\*बरामदगी का विवरण-\***

- 01 अदद नाजायज चाकू।
- 69 पुड़िया नाजायज हेरोइन।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर अजय कुमार श्रोत्रीय, उ0नि0 दीपक कुमार- चौकी प्रभारी अस्सी, कां0 सूर्यनाथ यादव, कां0 शक्तिवेन्द्र यादव व का0 मनोज कुमार साहू, थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

**\*प्रेस नोट\***

दिनांक 25/10/2020 को थाना लोहता के उ0नि0 शैलेश प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में भट्टी गाँव में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बखरिया गाँव के पास रेलवे लाइन के किनारे महुंए के पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति बैठकर हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं यदि जल्दी करें तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के बखरिया गाँव के पास पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर पेड़ के नीचे बैठकर जुआ खेल रहे 05 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से 02 अदद ताश की गड्डी, 06 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद पर्स व रु0-40,400/- नगद बरामद हुए। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को करीब 7.10 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\***

- सूरज कुमार पटेल उर्फ गुल्लू पुत्र भोला पटेल निवासी बखरिया थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष।
- विकास कुमार पुत्र सबरु निवासी तरना बाजार शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।
- अनिल कुमार मौर्या उर्फ कल्लू पुत्र राम सेवक मौर्या निवासी सरहरी थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।
- अभिमन्यु कुमार पटेल पुत्र महेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी बखरिया थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।
- राकेश कुमार पटेल उर्फ पिण्टू पटेल पुत्र लल्लू पटेल निवासी लखमीपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष।

**\*बरामदगी का विवरण-\***

- 02 अदद ताश की गड्डी।
- 06 अदद मोबाइल फोन।
- 01 अदद पर्स।
- रु0-40,400/- नगद

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- उ0नि0 शैलेश प्रताप सिंह, उ0नि0 जनक सिंह, उ0नि0 अक्षय कुमार सिंह, उ0नि0 अभिषेक कुमार राय, का0 बलिराज कुमार, का0 अनूप वर्मा, का0 गौरव सिंह व का0 शंकर राम थाना लोहता वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 26-10-2020 को थाना चेतगंज के उ0नि0 मुनिशंकर वर्मा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में चेतगंज चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति काशिका तिराहे के पास खड़ा है, जिसके पास अवैध असलहा व कारतूस है, यदि जल्दी क्रिया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के काशिका तिराहे से पहले सैमसंग मोबाइल सर्विस सेन्टर के पास पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से 02 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस-.315 बोर बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक को समय 11.45 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- दीपक पुत्र सर्वोत्तम निवासी सी0-07/29 सेनपुरा हरिजन बस्ती थाना चेतगंज, वाराणसी उम्र- करीब 28 वर्ष।

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 02 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस-.315 बोर।

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

- उ0नि0 मुनिशंकर वर्मा, मु0आ0 महरानीदीन यादव, मु0आ0 शिवप्रकाश यादव व का0 विशाल कुमार थाना चेतगंज, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,  
policevaranasi

पुलिस अधीक्षक  
फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in),

वाराणसी  
Facebook-

संख्या: पीआरओ 176/2020

दिनांक: अक्टूबर, 26/2020

**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 26.10.2020 को थाना सिगरा के उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में जवाहर नगर तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0-502/2020 धारा-363/366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त भान गुप्ता पुत्र स्व0 बाबू राम गुप्ता निवासी ओरिल बाजार थाना पवई जनपद आजमगढ़, रोडवेज बस स्टेशन कैण्ट वाराणसी पर अपहृता के साथ मौजूद है, यदि जल्दी क्रिया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के रोडवेज बस स्टेशन कैण्ट पहुँचकर चाय की दुकान के पास खड़े अभियुक्त उपरोक्त को समय 12.45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से अपहृता बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

- भान गुप्ता पुत्र स्व0 बाबूराम गुप्ता निवासी ओरिल बाजार थाना पवई जिला आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष व हाल पता किराये का मकान सी0 33/62 चन्दुआ छित्तपुर थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***



➤ उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव, का0 धीरेन्द्र कुमार यादव, म0का0 माधुरी कुमारी थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,  
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvns-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvns-up@nic.in),

Facebook-

संख्या: पीआरओ 177/2020

दिनांक: अक्टूबर, 26/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 26-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*कुल 32 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा \*04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम\* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये \*कुल 537 व्यक्तियों से रु0-22,000/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 1105 वाहनों का चालान, 22 वाहन को सीज तथा 92 वाहनों से रु0-86,400/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,  
policevaranasi

पुलिस अधीक्षक  
फैक्स-91-542-2501450, [इमेल-sspvn-up@nic.in](mailto:इमेल-sspvn-up@nic.in),

वाराणसी  
Facebook-

संख्या: पीआरओ 178/2020

दिनांक: अक्टूबर, 26/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 26.10.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 157 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4174 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1664 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 97 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 589 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। 01 मनचलों का 151 सीआरपीसी में चालान किया गया, 02 व्यक्तियों का 107/116 सीआरपीसी में चालान, 11 व्यक्तियों का एमबी एक्ट में चालान, 02 व्यक्तियों का 34 पुलिस एक्ट में चालान, 02 व्यक्तियों का 290 भादवि की कार्यवाही, व 87 मनचलों को सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

